Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... बयाना .....

..... सोहनसिंह आदि ..... बनाम ..... हरिकिशन वगैरह .....

किस्त मुकदमा ..... प्रा० 212/22 ..... नं. 193/22 ..... सन .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
4/7/22	एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 212-ए CrPC के तहत पेश किया है कि एड० प्रार्थी को एक पक्षीय पुनर्पत्रावली में तलब सम्मन जारी लेख का अवलोकन किया प्रमाण रखा हत्या प्रार्थीगण के हक में बयान आता है कि अभियोगीगण मूल के विरुद्ध फौजदारी अपराध के अपराधी तथा फरार चल रहे हैं 18/11/22 तक का आदेश का जारी किया जाता है कि याचिकापत्र की धारा 82 CrPC के वांछित अभियोगीगण वाके ग्राम खोह तह० बयाना के मौके की मर्यादा को बनाए रखे। मौके पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करे। इस बारे कोई आपत्ति होने पर तथा फरार होने पर याचिकाकर्ता उपस्थित हो सकता है। अभियोगीगण को गरिफ्तारी तथा कुर्की सम्मन दिनांक 18/11/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	
18/11/22	बहुलाल उपस्थित अधिवक्ता प्रति 02 की अर्जी पेश की सम्मन BE अभि 82 के वारन्टान पेश किये। सम्मन वापिस आदेश कार्यवाही मूल वाद के साथ दि 17/3/23 को पेश हो	

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
30/9/24	वादी व प्रतिवादी द्वारा दि. 28.09.24 को राजकीय अवकाश होने पर आज प्रेषित इकरारनामा अधिनियम दि. 1.10.24 को प्रेषित हो।	
19/11/24	प्रकरण आज प्रार्थीगण द्वारा इस वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर इलवाड के साथ तारीख पेशी से पूर्व तक विपक्षी वादीगण द्वारा अपना दावा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर शपथित बयान जा चुका है। इस वाद शपथित होने पर प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 21 रूल 90 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर शपथित किया जाता है। प्रकरण फैसल होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	सोहनसिंह निर्मलसिंह रमेशचन्द Identified by 19/11/24

उपखण्ड अधिकारी
कथामा (भरतपुर)